

उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट, छबड़ा जिला बारां (राज.)

| | | | |
|---------------|--------------|-----------|-------|
| दिना पत्र सं. | धारा अंतर्गत | ग्राम | तहसील |
| 6/20 | उजराय | आमोली | दंडा |
| वादी | वाद शीर्षक | प्रतिवादी | |
| देवीसिंह | बनाम | मैक | |

वकील :- अमलीसिंह श्रीवास्तव **आदेश पत्रक** वकील :-


दिनांक **कार्यवाही एवं आदेश** विविध संदर्भ

11/20

अभिभाषक शर्मा द्वारा उजराय इस न्यायालय में पेश की गई रिपोर्ट सीरिस्ती का अकलौकत किया प्रमाण दर्ज रजिस्टर किया जावे। तथा तहसीलदार दंडा के तहरीर जारी की जावे कि यदि उक्त प्रमाण में यदि किसी अन्य अपरकोर्ट का एमान आदेश जारी न हो तो मुताबिक डिमें विभाजन पर विभाजन प्रस्ताव इस न्यायालय में दिनेक 18/3/20 को आवश्यक रूपसे पेश हो। वरन् पत्रा विभाजन प्रस्ताव दिनेक 18/3/20 को पेश हो।


18/3/20

कोशिका नंबर 10 के अंतर्गत आदेशों का अन्तर्गत कार्य में निरस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत् स्थिति में दिनांक 01/4/20 को पेश हो।


 उपखण्ड अधिकारी
 छबड़ा (बारां)

01/4/20

कोशिका नंबर 10 के अंतर्गत आदेशों का अन्तर्गत कार्य में निरस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत् स्थिति में दिनांक 01/4/20 को पेश हो।


 उपखण्ड अधिकारी
 छबड़ा (बारां)



